दैनिक भारत कि

तामीर

संपादक - काझी मकदूम शफीउद्दीन hinditameer@gmail.com

Editor in chief- Qazi makhdoom shafiuddin

बीड (महाराष्ट्र) | वर्ष-२ ला | अंक-९३ वा | शुक्रवार ६ फ़रवरी २०२६ | RNI TITLE CODE:MAHHIN11405/120/1/3/2024 | किमत : २ रूपये | पन्ने - ४

अहमदाबाद के दरियापुर में इंसानियत की मिसाल

पानी संकट के समय मुस्लिम समुदाय ने हिंदू परिवारों को मस्जिद से पानी उपलब्ध कराया

हबीब शेख । अहमदाबाद

अहमदाबाद के दरियापुर इलाके में लगातार दो दिनों तक पानी की आपूर्ति बाधित रहने के दौरान हिंदू-मुस्लिम एकता और मानवता की एक शानदार मिसाल देखने को मिली। इलाके में जब पानी का गंभीर संकट पैदा हुआ, तब फटी मस्जिद के ट्रस्टियों ने आगे बढ़कर आसपास के हिंदू परिवारों को मस्जिद के टैंक और बोरवेल से पीने का पानी उपलब्ध कराया।

बताया गया कि बुधवार को तकनीकी खराबी के कारण दरियापुर क्षेत्र में पानी की सप्लाई अचानक बंद हो गई। पूरे इलाके के लोग पानी की कमी से जूझ रहे थे। ऐसे कठिन समय में फटी मस्जिद के ट्रस्टियों ने बिना किसी धार्मिक भेदभाव के स्थानीय हिंदू परिवारों को पानी देने का फैसला किया।

अहमदाबाद के विभिन्न इलाकों में चल रही पेयजल किल्लत के बीच दरियापुर में हिंदू-मुस्लिम भाईचारे और इंसानियत की यह मिसाल सामने आई। पानी संकट के दौरान मुस्लिम समुदाय ने धार्मिक मतभेदों को दरकिनार करते हुए आपसी सौहार्द और भाईचारे को मजबूत किया। बीते कई दिनों से दरियापुर के निवासियों को पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा था। महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि घरों में पानी की आपूर्ति अनियमित और अपर्याप्त थी। कुछ इलाकों में तीन से चार दिनों तक पानी पूरी तरह बंद रहा, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई।

स्थिति से निपटने के लिए स्थानीय नेताओं अजीज गांधी, एडवोकेट इकबाल शेख, रफीक नगरीवाला, सामाजिक कार्यकर्ता सलीम शेख, अनीस शेख सहित अन्य लोगों ने तुरंत पहल की और मस्जिद के बोरवेल व टैंक से पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की। हालात की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय मुस्लिम निवासियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और मस्जिद के प्रबंधन ने मिलकर मस्जिद की जल व्यवस्था को आम जनता के लिए खोलने का निर्णय लिया। हिंदू परिवारों को भी बिना किसी धार्मिक भेदभाव के पीने का पानी उपलब्ध कराया गया।

इस मानवीय पहल का नेतृत्व मस्जिद के ट्रस्टियों और पेश इमाम ने किया, जिन्होंने लोगों तक पानी पहुंचाने के लिए लगातार मेहनत की। सामाजिक कार्यकर्ता सलीम शेख ने कहा कि पानी हर इंसान का बुनियादी अधिकार है और कठिन समय में एक-दूसरे की मदद करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है।

इलाके के हिंदू निवासियों ने इस सहयोग के लिए दिल से आभार ▶▶पान ४ पे

राज्यसभा में रजनीताई पाटील का तीखा हमला: 'जे का रंजले गांजले' का संदर्भ देकर बजट को बताया फसवा

नई दिल्ली, संवाददाता

५ फरवरी २०२६: कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रजनी अशोकराव पाटील ने केंद्रीय बजट २०२६-२७ पर चर्चा के दौरान केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने संत तुकाराम महाराज के प्रसिद्ध अभंग 'जे का रंजले गांजले' का हवाला देते हुए कहा कि सरकार को गरीबों और जरूरतमंदों के लिए ठोस नीतिगत कदम उठाने चाहिए, न कि सिर्फ घोषणाओं का ढिंढोरा पीटना चाहिए। पाटील ने आरोप लगाया कि इस बजट से आम आदमी के हाथ कुछ नहीं लगा है और महंगाई की आग में घी डालने का काम किया गया है। उन्होंने बजट की आंकड़ेबाजी को 'फसवा' बताते हुए इसका विस्तृत विश्लेषण किया।व०८रषश

संसद के बजट सत्र के दौरान २ फरवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद पाटील ने कहा, संत तुकाराम महाराज के अभंग 'जे का रंजले गांजले' में कहा गया है कि जो दुखी और पीड़ित हैं, उन्हें भगवान का रूप मानकर सहायता करनी चाहिए। लेकिन सरकार गरीबों के लिए सिर्फ घोषणाएं कर रही है, जबकि वास्तविकता में उनके लिए कोई ठोस नीति नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बजट में पिछड़े, दलित और जरूरतमंद वर्गों की अनदेखी की गई है, जिससे सामाजिक असमानता और बढ़ेगी।

पाटील ने महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरा और कहा कि महागाई का भडका उडाला आहे (महंगाई की आग भड़क रही है)। उन्होंने दावा किया कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं, लेकिन बजट में इसका कोई प्रभावी समाधान नहीं दिखता। सांसद ने बजट के आंकड़ों की पड़ताल करते हुए कहा कि ये आंकड़े भ्रामक हैं और वास्तविक विकास को छिपाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि जहां सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार सृजन की बात करती है, वहीं जमीनी हकीकत में बेरोजगारी बढ़ रही है और किसानों की आय दोगुनी करने का वादा जुमला साबित हो रहा है।

कांग्रेस सांसद ने आगे कहा कि बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि क्षेत्र को पर्याप्त आवंटन नहीं मिला है। उन्होंने मनरेगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और वन अधिकार अधिनियम जैसी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि ये संविधान की भावना से जुड़ी हैं, लेकिन सरकार इन्हें कमजोर करने की कोशिश कर रही है। पाटील ने विपक्षी एकजुटता का आह्वान करते हुए कहा कि सरकार मनुष्य को मनुष्य से लड़वाकर नफरत फैला रही है, और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष जारी रखने की बात कही

यह भाषण संसद में विपक्ष की ओर से बजट पर हो रही बहस का हिस्सा था, जहां ▶▶पान ४ पे

अबू सालेम को पैरोल देने से उच्च न्यायालय का इनकार

जमीर काझी

मुंबई: भाव की मौत के बाद घर जाकर अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पैरोल मंजूर करने की मांग वाली अंतरराष्ट्रीय अपराधी अबू सालेम की याचिका को मुंबई उच्च न्यायालय ने गुरुवार को खारिज कर दिया। दहशतगर्दी के आरोपों में दोषी होने के कारण पर्याप्त पुलिस सुरक्षा के बिना उसे बाहर नहीं भेजा जा सकता। साथ ही, सुरक्षा का खर्च भी उसे ही वहन करना होगा, अन्यथा पैरोल नहीं मिलेगी। यह बात न्यायमूर्ति अजय गडकरी और न्यायमूर्ति शाम चांडक की खंडपीठ ने स्पष्ट की।

अबू सालेम नवंबर २००५ से जेल में बंद है। उसके सौतेले भाई अबू हकीम अंसारी की मौत १५ नवंबर २०२५ को हुई थी। भाई की मौत के बाद होने वाले अंतिम संस्कार और अन्य रस्मों में शामिल होने के लिए अबू सालेम ने जेल अधिकारियों से १४ दिनों की आपातकालीन पैरोल की मांग की थी, लेकिन जेल अधिकारियों ने इसे खारिज कर दिया। इसके विरोध में अबू सालेम ने उच्च न्यायालय का रुख किया था। अंतिम सुनवाई में...

अबू सालेम की आपराधिक पृष्ठभूमि को देखते हुए उसके लिए २५ पुलिसकर्मियों की एक टुकड़ी सुरक्षा में भेजी जाएगी। इन चार दिनों का कानूनी खर्च लगभग १८ लाख रुपये होगा, जिसे अबू सालेम को ही चुकाना होगा। यह बात राज्य सरकार की ओर से उच्च न्यायालय में स्पष्ट की गई। हालांकि, अबू सालेम के वकील फरहाना शाह ने कहा कि अबू पिछले दो दशकों से जेल में है, इसलिए उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और वह पुलिस सुरक्षा का इतना खर्च नहीं उठा सकता। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी पुलिस फोर्स की जरूरत नहीं है, केवल १० पुलिसकर्मियों के साथ वह जा सकता है और इसके लिए वह अधिकतम १ लाख रुपये खर्च कर सकता है।

इस पर उच्च न्यायालय ने कहा कि पुलिस खर्च पर सौदेबाजी नहीं चलेगी। सालेम को भाई के अंतिम संस्कार के लिए चार दिनों की पैरोल दी जा सकती है, लेकिन केवल पुलिस सुरक्षा के साथ और खर्च भी उसे ही वहन करना होगा। कोर्ट ने पहले ही इस शर्त पर स्पष्ट किया था। लेकिन सालेम पिछले दो दशक से जेल में है, कानून के अनुसार उसे अधिकतम २५ साल की सजा है जो जल्द खत्म हो रही है, इसलिए भागने का सवाल ही नहीं ▶▶पान ४ पे

'पल्स' परिषद के माध्यम से चिकित्सा वेलनेस पर्यटन का 'महाराष्ट्र ब्रांड' बनाएं: मुख्यमंत्री

मुंबई में २७ और २८ मार्च को होगी परिषद

विशेष संवाददाता

मुंबई:

चिकित्सा क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर महाराष्ट्र को पहचान दिलाने वाली 'पल्स' नामक चिकित्सा परिषद का आयोजन यहां जियो वर्ल्ड सेंटर में २७ और २८ मार्च को किया जाएगा। इस परिषद में देश-विदेश से चिकित्सा क्षेत्र के २,९०० से अधिक विशेषज्ञ, शोधकर्ता और गणमान्य व्यक्ति भाग लेंगे।

'पल्स' चिकित्सा परिषद का आयोजन करके और इस परिषद के माध्यम से 'वेलनेस' उपचारों को चिकित्सा पर्यटन में 'महाराष्ट्र ब्रांड' के रूप में स्थापित करना चाहिए, ऐसे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वर्षा निवास पर आयोजित समीक्षा बैठक में दिए। इस बैठक में चिकित्सा शिक्षा राज्यमंत्री माधुरी मिसाल भी मौजूद थीं।

पारंपरिक महंगे चिकित्सा उपचारों की बजाय 'वेलनेस' उपचारों की ओर लोगों का रुझान बढ़ रहा है। 'वेलनेस' उपचार पद्धति में राज्य में बहुत अधिक संभावनाएं हैं। इसलिए आयुष (AYUSH) की उपचार पद्धतियों को 'वेलनेस' की ओर मोड़ना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र में कई स्टार्टअप सक्रिय हैं। परिषद में अधिक से अधिक स्टार्टअप को शामिल किया जाए, ताकि परिषद में नए-नए शोध पर आधारित चर्चाओं से कैंसर जैसे रोगों पर आसान, सरल और किफायती उपचार पद्धति विकसित करने में स्टार्टअप को मदद मिले।

चिकित्सा क्षेत्र में वैश्विक निवेशकों को परिषद में भाग लेने के लिए विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि उनके माध्यम से राज्य में चल रहे 'बल्क ड्रग पार्क' में निवेश हो सके, इसके लिए प्रयास किए जाएं। परिषद के सफल आयोजन के लिए संबंधित विभागों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं।

बैठक में मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण के महानगर आयुक्त डॉ. संजय ▶▶पान ४ पे

मनोज जरांगे को धमकी देने के मामले में आष्टी पुलिस में शिकायत दर्ज

आष्टी, दि. ५ (प्रतिनिधि):

मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे को गोली मारकर जान से मारने की धमकी देने वाली एक कॉल रिकॉर्डिंग इस समय सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है, जिससे पूरे राज्य में हड़कंप मच गया है। इस गंभीर मामले को लेकर सकल मराठा समाज, आष्टी तालुका की ओर से आष्टी पुलिस स्टेशन में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई गई है।

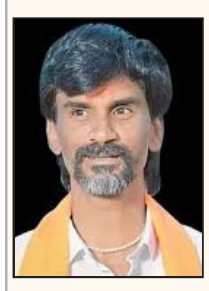

वायरल कॉल रिकॉर्डिंग में खुद को कराड समर्थक बताने वाला एक व्यक्ति सीधे तौर पर मनोज जरांगे को मैं खुद गोली मारकर जान ले लूंगा जैसी गंभीर धमकी देता हुआ स्पष्ट रूप से सुना जा सकता है। आरोप है कि इस बातचीत में धनंजय मुंडे और संतोष देशमुख हत्या प्रकरण के आरोपी वाल्मिक कराड का नाम लेते हुए, जरांगे समर्थकों को भी जान से मारने की धमकी दी गई है।

इस घटना से कानून-व्यवस्था की गंभीर समस्या उत्पन्न होने की आशंका जताई जा रही है। सकल मराठा समाज ने आशंका व्यक्त की है कि मनोज जरांगे और उनके समर्थकों की जान को खतरा हो सकता है। समाज की ओर से मांग की गई है कि संबंधित कॉल रिकॉर्डिंग की तत्काल जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए तथा आरोपी को तुरंत ▶▶पान ४ पे

स्व. अजित दादा के निधन के कारण शिवजयंती पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द

शासकीय महापूजा व अभिवादन के साथ सादगी से मनाई जाएगी शिवजयंती

बीड, दि. ५ (प्रतिनिधि):

राज्य के लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री एवं दिवंगत लोकनेता अजित दादा पवार के आकस्मिक निधन के चलते बीड शहर में सार्वजनिक शिवजयंती उत्सव समिति द्वारा हर वर्ष आयोजित किए जाने वाले सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द करने का निर्णय लिया गया है।

इस अवसर पर सुबह ७.०० बजे होने वाली शासकीय महापूजा एवं अभिवादन सभा में अधिक से अधिक शिवप्रेमी नागरिकों की उपस्थिति का आह्वान बीड के विधायक संदीप क्षीरसागर तथा सार्वजनिक शिवजयंती उत्सव समिति, बीड शहर की ओर से किया गया है।

बीते ३० वर्षों से बीड शहर में सार्वजनिक शिवजयंती उत्सव समिति के आयोजन से डीजे-मुक्त और चंदा-मुक्त शिवजयंती सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से आदर्श रूप में मनाई जाती रही है। हर वर्ष की तरह इस साल भी शिवकालीन मर्दानी खेलों और विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए शिवजयंती उत्साहपूर्वक मनाने की योजना बनाई गई थी।

लेकिन कुछ दिन पूर्व दिवंगत लोकनेता अजित दादा पवार का विमान दुर्घटना में आकस्मिक और दुर्भाग्यपूर्ण निधन हो गया, जिससे बीड जिले सहित पूरे महाराष्ट्र में शोक की लहर फैल गई है। इस दुखद पृष्ठभूमि में सामाजिक जिम्मेदारी और संवेदनशीलता को ध्यान में ▶▶पान ४ पे

उर्दू दैनिक तामीर के २५ वे साल में क़दम रखने पर एक और पेशकश

देशभर के शिक्षकों का दिल्ली में जोरदार असंतोष!

कार्यरत शिक्षकों को TET से छूट, पुरानी पेंशन बहाली सहित अन्य मांगों के लिए जंतर-मंतर पर ऐतिहासिक धरना आंदोलन

नई दिल्ली (दिनांक ५ फरवरी २०२६)

देश की सात प्रमुख शिक्षक संगठनों ने एकजुट होकर राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर शक्तिशाली धरना आंदोलन किया। मुख्य मांगें हैं-कार्यरत (इन-सर्विस) शिक्षकों को टीईटी (TET) से पूर्ण छूट दी जाए, सभी शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल की जाए, नई शिक्षा नीति २०२० (NEP २०२०) के जनविरोधी और निजीकरण को बढ़ावा देने वाले प्रावधान हटाए जाएं, शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति मिले-इनके अलावा अन्य कई महत्वपूर्ण मांगें।

अखिल भारतीय शिक्षक संघटना संयुक्त क्रांति समिति (AIJ-CTO) के बैनर तले यह आंदोलन आयोजित किया गया, जिसमें अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षक संघ के घटक के रूप में मराठवाड़ा शिक्षक संघ सक्रिय रूप से शामिल रहा। यह शिक्षक आंदोलन का एक ऐतिहासिक पड़ाव साबित हुआ, क्योंकि विभिन्न राष्ट्रीय स्तर की शिक्षक

संघटनाएं पहली बार एक ही मंच पर एकत्र हुईं और लंबे समय से लंबित मुद्दों पर सामूहिक संघर्ष की शुरुआत की।

आंदोलन के प्रमुख नेता और उपस्थित मान्यवर

मराठवाड़ा शिक्षक संघ के अध्यक्ष सूर्यकांत विश्वासराव, महासचिव राजकुमार कदम, उपाध्यक्ष ज्ञानोबा वरवट्टे (केंद्रीय उपाध्यक्ष) सहित सैकड़ों बहादुर कार्यकर्ता।

अन्य प्रमुख नेता: श्री सी. एन. भारती (STFI), श्री के. नरसिंहा रेड्डी (AISTF), बसवराज गुरिकर (AIPTF), सी. एल. रोज (AIFTO) आदि।

राजनीतिक समर्थन: खासदार जॉन ब्रिटास (CPI(M²) फ्लोर लीडर), सेल्वराज (उझख), व्ही. शिवदासन (CPI(M²)), कुमार नाईक (कांग्रेस), राजा राम सिंह (उझख(चडः)) सहित कई सांसदों ने पाठिंबा दिया और संसद में मुद्दे उठाने का वादा किया।

अन्य वक्ता: उझख के राष्ट्रीय नेता के. नारायण, आंध्र प्रदेश के शिक्षक चडउ गोपी मूर्ती, तेलंगणा के श्रीपाल रेड्डी, AIFUCTO महासचिव डॉ. अरुण कुमार, AIFRTE सचिव प्रो. विकास गुप्ता आदि।

वक्ताओं ने -खग-उढज की स्थापना को मील का पत्थर बताया और शिक्षक संगठनों की एकता की सराहना की। सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले (जिसमें ५ वर्ष से अधिक सेवा शेष वाले कार्यरत शिक्षकों को २ वर्ष में ढएढ पास करना अनिवार्य किया गया, अन्यथा नौकरी जाने का खतरा) ने शिक्षकों को एकजुट किया।

ढएढ मुद्दे की मुख्य विसंगतियां

२३.०८.२०१० की NCTE अधिसूचना (ढएढ लागू होने के बाद) के अनुसार ढएढ केवल उसके बाद नियुक्त शिक्षकों के लिए बाध्यकारी था; कार्यरत शिक्षकों को छूट थी।

पिछले १५ वर्षों से ढएढ नहीं देना पड़ रहा था, लेकिन छउढए द्वारा अदालत में ठीक से पक्ष न रखने से प्रतिकूल फैसला आया।

५ वर्ष की मनमानी शर्त और कठोर सजा (ढएढ न पास करने पर नौकरी जाना) की निंदा की गई।

मांग: ठढए में संशोधन कर कार्यरत शिक्षकों को संरक्षण, अदालत में पुनर्विचार/क्यूरेटिव याचिका दाखिल करना।

अन्य प्रमुख मांगें

नई पेंशन योजना (छझड) के खिलाफ २२ वर्ष के संघर्ष के बाद पुरानी पेंशन योजना (जझड) बहाल हो; यूनिफाइड पेंशन स्कीम (णझड) रद्द हो।

छएझ २०२० के निजीकरण और केंद्रीकरण बढ़ाने वाले प्रावधान हटाए जाएं, जिससे गरीबों के लिए शिक्षा दुर्गम हो रही है।

पिछले ५ वर्षों में बंद/विलय हुई १ लाख+ स्कूलों पर तत्काल रोक।

प्राथमिक शिक्षकों को चडउ चुनावों में मतदान का अधिकार।

वेतनभोगी कर्मचारियों पर आयकर बोझ कम हो।

अस्थायी कर्मचारियों का नियमितीकरण और न्यूनतम वेतन लागू हो।

-खग-उढज ने केंद्र सरकार से इन मुद्दों का तत्काल समाधान करने की मांग की है। यदि मांगें नहीं मानी गईं, तो इस अभूतपूर्व संयुक्त मंच को और मजबूत कर आंदोलन तेज करने का संकल्प लिया गया है।

यह संयुक्त मंच देशभर के शिक्षकों की एकजुट आवाज और दृढ़ इच्छाशक्ति को दर्शाता है। -खग-उढज ने सभी शिक्षकों, शिक्षा कर्मचारियों और समर्थकों से इस आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किया है।

गेवराई नगरसेवक शेख खाजाभाई की ओर से वरिष्ठ पत्रकार काज़ी अमान का सम्मान

गेवराई (प्रतिनिधि):

गेवराई के वरिष्ठ पत्रकार तथा दैनिक दिव्य लोकप्रभा के उपसंपादक काज़ी अमान को प्रतिष्ठित मूकनायक पुरस्कार से सम्मानित किए जाने के अवसर पर नगर परिषद के राष्ट्रवादी कांग्रेस के गटनेता एवं वरिष्ठ नगरसेवक शेख खाजाभाई की ओर से उनका हृदयपूर्वक सम्मान किया गया। इसी कार्यक्रम में मराठवाड़ा न्यूज के संपादक शेख जावेद के जन्मदिन के अवसर पर उन्हें भी शुभकामनाएँ दी गईं।

यह कार्यक्रम नगरसेवक शेख खाजाभाई की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल के गेवराई तालुका अध्यक्ष खालेक भाई कुरेशी तथा शहर अध्यक्ष नवीद मशायक प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

मूकनायक पुरस्कार प्राप्त होने पर शेख खाजाभाई के हाथों काज़ी अमान का सम्मान किया गया। साथ ही, शेख जावेद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में खालेक भाई कुरेशी के हाथों उनका सत्कार कर शुभेच्छाएँ दी गईं।

इस अवसर पर नईम राज, लतीफ राज, शेख शकील, जफर राज टेलर, फेरोज भाई, युनूस कुरेशी, पत्रकार शेख खाजा, इमरान सौदागर, शेख उस्मान, राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस के शहर अध्यक्ष शेख मोहसीन भाऊ, युवा कार्यकर्ता शेख मोईन सहित सामाजिक व राजनीतिक कार्यकर्ता तथा खाजा मामू मित्र मंडल के पदाधिकारी व सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित थे। कार्यक्रम का प्रस्तावना शेख मोहसीन भाऊ, सूत्रसंचालन शेख उस्मान और आभार प्रदर्शन शेख मोईन ने किया।

काला घोड़ा फेस्टिवल में प्रो. तेलतुंबड़े का चर्चासत्र मुंबई पुलिस के विरोध के कारण रद्द!

मुंबई: जमीर काजी

देशभर में प्रसिद्ध दक्षिण मुंबई के 'काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल' इस बार एक अलग कारण से चर्चा में आ गया है। यहां होने वाले 'इन्कार्सरेटेड: टेल्स फ्रॉम बिहाइंड बार्स' विषय पर वामपंथी आंदोलन के वरिष्ठ विचारक प्रो. आनंद तेलतुंबड़े की मुख्य उपस्थिति वाले चर्चासत्र को मुंबई पुलिस ने विरोध किया है। पुलिस ने समाज में तनाव पैदा होने की आशंका जताते हुए आपत्ति दर्ज की, जिसके कारण आयोजकों ने कार्यक्रम रद्द कर दिया।

प्रो. आनंद तेलतुंबड़े पर एनआईए ने कथित शहरी नक्सलवाद मामले में यूएपीए की धाराओं के तहत गिरफ्तारी की थी और उन्हें लगभग ६ वर्षों तक जेल में रखा गया था। वर्तमान में वे जमानत पर बाहर हैं। महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस के प्रायोजकत्व में आयोजित होने वाले काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल में 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोंटने के लिए सरकार प्रायोजित कारावास' जैसे विषय पर व्याख्यान का आयोजन उचित है या नहीं, इस सवाल को सोशल मीडिया पर कुछ दक्षिणपंथी विचारधारा के समर्थकों ने उठाया था।

इसके चलते सांस्कृतिक महोत्सव में इस तरह के गंभीर मामले से जुड़े व्यक्ति को शामिल करने से सरकार विरोधी भावनाएं युवाओं में बढ़ सकती हैं, उनके मन में विद्रोही विचार पैदा हो सकते हैं और समाज में असंतोष फैल सकता है। इसलिए पुलिस ने नोटिस में सुझाव दिया कि यह चर्चासत्र आयोजित नहीं किया जाना चाहिए। परिणामस्वरूप आयोजकों ने इसे रद्द करने का फैसला लिया।

काला घोड़ा महोत्सव पिछले २५ वर्षों से आयोजित किया जा रहा है। यह एक सप्ताह तक चलने वाला कला महोत्सव है जिसमें हजारों लोग शामिल होते हैं, खासकर युवाओं की संख्या अधिक रहती है।

कानून का राज नहीं: प्रो. तेलतुंबड़े

पिछले साल प्रकाशित उनकी किताब 'दि सेल एंड दि सोल: ए प्रिजन मेमॉयर' में भारत की जेल व्यवस्था की क्रूर वास्तविकता और कैदियों की दुर्दशा का पर्दाफाश किया गया है। इस किताब पर कई चर्चासत्र हो चुके हैं और किताब पर कोई प्रतिबंध नहीं है। फिर भी कार्यक्रम रद्द करवाने के लिए दबाव डालना इसका मतलब है कि यहां कानून का राज नहीं है। आयोजकों को चर्चासत्र के लिए दृढ़ रहना चाहिए था।

शेख मिसरी के सक्रिय शिक्षक शेख अलीमुद्दीन को 'पैकर-ए-तदरीस' सम्मान से नवाज़ा गया

मुंबई । मोहम्मद मुस्लिम कबीर

शेख मिसरी म्युनिसिपल उर्दू सेकेंडरी स्कूल, वडाला के सक्रिय एवं ऊर्जावान शिक्षक तथा उर्दू भाषाई समिति, बालभारती के सदस्य शेख अलीमुद्दीन को शिक्षा के क्षेत्र में उनकी उल्लेखनीय, निरंतर और मूल्यवान सेवाओं के लिए मुंबई विश्वविद्यालय एवं उर्दू चैनल की ओर से पैकर-ए-तदरीस (शिक्षा का आदर्श) पुरस्कार प्रदान किया गया।

यह प्रतिष्ठित सम्मान मुंबई विश्वविद्यालय के फिरोज़ शाह ऑडिटोरियम में आयोजित तीन दिवसीय उर्दू चैनल एवं रूट्स ऑफ काइंडनेस के संयुक्त तत्वावधान में हुए साहित्यिक व शैक्षणिक मेले जश्न-ए-उर्दू के अवसर पर दिया गया। यह आयोजन ३१ जनवरी से २ फरवरी तक संपन्न हुआ, जिसमें देश और राज्य भर से शिक्षक, साहित्यकार और विद्वान बड़ी संख्या में शामिल हुए।

जश्न-ए-उर्दू के दौरान आयोजित सम्मान समारोह में महाराष्ट्र के उन चयनित शिक्षकों को अभिनंदन-मोमेंटो और पुरस्कार प्रदान किए गए, जिन्होंने शिक्षण, शोध तथा भाषा-साहित्य के संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसी क्रम में शेख अलीमुद्दीन को उनकी शैक्षणिक दृष्टि, प्रभावी शिक्षण सेवाओं और उर्दू भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए की गई सतत मेहनत के सम्मान में यह पुरस्कार प्रदान किया गया।

शिक्षा और साहित्य जगत से जुड़े विद्वानों ने इस सम्मान को न केवल शेख अलीमुद्दीन की व्यक्तिगत लगन और परिश्रम का परिणाम बताया, बल्कि इसे उर्दू शिक्षण से जुड़े शिक्षकों के लिए एक प्रेरणास्रोत और मार्गदर्शक मशाल भी करार दिया।

दस करोड़ रुपये का कोकीन व एमडी ड्रग्स जब्त, दो विदेशी महिलाएँ गिरफ्तार

वसई: संवाददाता

नालासोपारा पूर्व के मोरेगांव क्षेत्र में तुलिंज पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब ९ करोड़ ७० लाख २६ हजार रुपये कीमत के १० किलो ३२७ ग्राम नशीले पदार्थ जब्त किए हैं। इस मामले में युगांडा की दो महिलाओं को हिरासत में लिया गया है। इस पूरी कार्रवाई में मूल रूप से अंबाजोगाई निवासी तथा वर्तमान में तुलिंज पुलिस थाने में कार्यरत एपीआई गोविंद बास्ते की अहम भूमिका रही।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में तुलिंज पुलिस थाने की टीम अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की जांच के लिए 'जंबो ऑपरेशन' चला रही थी। इसी दौरान मोरेगांव तालाब के पास स्थित प्रियंका अपार्टमेंट की रूम नंबर २०६ पर छापा मारा गया। यहां युगांडा की नागरिक बाबिर्ये ग्रेस (उम्र ३३ वर्ष) और नाकायिज़ आयशा (उम्र २७ वर्ष) रह रही थीं। संदिग्ध गतिविधियों के चलते पुलिस ने दोनों महिलाओं और कमरे की तलाशी ली।

तलाशी के दौरान किचन में फ्रिज के पीछे छिपाकर रखा गया १ किलो ४०५ ग्राम कोकीन तथा हॉल में रखा ८ किलो ९२२ ग्राम मेफेड्रोन (एमडी) बरामद किया गया। इस तरह कुल १० किलो से अधिक नशीले पदार्थ जब्त किए गए, जिनकी बाजार कीमत करोड़ों रुपये बताई जा रही है। इसके अलावा पुलिस ने दो मोबाइल फोन और वजन तौलने का इलेक्ट्रॉनिक कांटा भी जब्त किया है।

चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि दोनों महिलाओं के पास भारत में रहने के लिए वैध पासपोर्ट और वीज़ा नहीं था। एपीआई गोविंद बास्ते की शिकायत पर दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम और विदेशी नागरिक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

यह कार्रवाई सहायक पुलिस आयुक्त उमेश माने पाटील और वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विजय जाधव के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक घाडीगांवकर, एपीआई गोविंद बास्ते, सहायक पुलिस निरीक्षक सुनील पवार सहित पुलिस बल के अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से अंजाम दी। मामले की आगे की जांच एपीआई गोविंद बास्ते कर रहे हैं।

पान १ वरून

अहमदाबाद के दरियापुर में ...

व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ऐसे कदम आपसी विश्वास और भाईचारे को मजबूत करते हैं, खासकर ऐसे समय में जब समाज में धार्मिक विभाजन देखने को मिलता है। बुजुर्गों ने याद दिलाया कि दरियापुर में लंबे समय से सांप्रदायिक सौहार्द की परंपरा रही है, जहां त्योहार, सुख-दुख और कठिनाइयाँ हमेशा मिलकर साझा की जाती हैं। यह घटना अहमदाबाद में गंगा-जमुनी तहज़ीब की जीवंत मिसाल बन गई है, जो यह साबित करती है कि जब व्यवस्थाएं विफल हो जाती हैं, तब आम नागरिकों की इंसानियत सबसे ऊंचे स्तर पर सामने आती है। स्थानीय लोगों ने नगर निगम अधिकारियों से अपील की है कि पानी की आपूर्ति की समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाए, ताकि भविष्य में ऐसे संकट दोबारा न हों।

राज्यसभा में रजनीताई पाटील का तीखा...

अन्य सांसदों ने भी आर्थिक सर्वेक्षण और रोजगार सृजन पर सवाल उठाए। सरकार की ओर से जवाब में कहा गया कि बजट आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक कदम है, लेकिन विपक्ष इसे गरीब-विरोधी बता रहा है। पाटील का यह भाषण सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जहां लोग इसे गरीबों की आवाज बता रहे हैं।

संसद सत्र अभी जारी है और बजट पर चर्चा आगे बढ़ने की उम्मीद है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है, जबकि भाजपा इसे विकासोन्मुख बताकर बचाव कर रही है।

अबू सालेम को पैरोल देने...

उठता। अन्य कैदियों की तरह उसे भी समान व्यवहार मिलना चाहिए, जैसे उन्हें पैरोल मिलती है वैसे ही उसे मिलनी चाहिए। पहले उसकी मां की मौत पर उसे घर जाने की इजाजत मिली थी, तो अब राज्य सरकार का विरोध क्यों? इस सवाल पर वकील फरहाना शाह ने पूछा, लेकिन खंडपीठ ने असहमति जताते हुए कहा कि आपके मुवक्किल की पूर्व पृष्ठभूमि को देखते हुए उसे लंबे समय तक जेल के बाहर रखना उचित नहीं है। जांच एजेंसियों की स्थिति से हम सहमत हैं, इसलिए केवल पुलिस सुरक्षा के साथ ही उसे बाहर भेजा जा सकता है और खर्च भी उसे ही करना होगा।

सालेम को लंबे समय तक बाहर रखने में राज्य सरकार का विरोध

अबू सालेम एक अंतरराष्ट्रीय अपराधी है। १९९३ के मुंबई बम विस्फोटों के बाद वह विदेश भाग गया था। कई वर्षों के प्रयासों के बाद एक्सट्राडिशन संधि के तहत १२ साल बाद उसे भारत वापस लाया गया। उसके खिलाफ दहशतगर्दी, हत्या, हत्या की साजिश, जबरन वसूली जैसे गंभीर अपराध दर्ज हैं। १९९३ मुंबई बम ब्लास्ट केस में दोषी ठहराया गया और जन्मकैद की सजा सुनाई गई। वर्तमान में तलोजा जेल में सजा काट रहा है। एक्सट्राडिशन समझौते के अनुसार पुर्तगाल से नवंबर २००५ में भारत लाया गया था। इस समझौते के तहत भारत सरकार उसे २५ साल से ज्यादा सजा नहीं दे सकती। इसलिए लंबे समय तक जेल के बाहर रखने पर भागने का खतरा है। परिवार के सदस्य की मौत पर केवल २ दिनों की संचित छुट्टी दी जा सकती है, जिसमें भी पुलिस सुरक्षा के खर्च अबू सालेम को खुद वहन करने होंगे। यह बात जेल प्रशासन की ओर से उच्च न्यायालय में कही गई थी।

'पल्स' परिषद के माध्यम से चिकित्सा...

मुखर्जी, पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव संजय खंदारे, सूचना एवं जनसंपर्क महासंचालनालय के प्रधान सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंह, चिकित्सा शिक्षा आयुक्त अनिल भंडारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन आयुक्त श्रीधर दुबे, मुख्य राजनयिक अधिकारी राजेश गवांडे, मुख्यमंत्री के सलाहकार पूजा मिसाल आदि उपस्थित थे।

परिषद कैसी होगी

२७ मार्च को परिषद का उद्घाटन होने के बाद प्लेनरी सत्र, ३६० डिग्री डोम आदि के साथ-साथ स्टार्टअप के लिए अलग-अलग सेक्शन होंगे। साथ ही उद्योग क्षेत्र में नए-नए शोध की जानकारी देने वाली प्रदर्शनियां भी होंगी। परिषद में विश्व स्वास्थ्य संगठन (थकज), यूनेस्को के उच्च पदाधिकारी भाग लेंगे। दुनिया के नामी चिकित्सा शिक्षा देने वाले विश्वविद्यालयों के कुलपति और शोधकर्ता भी परिषद में शामिल होंगे।

भविष्य की चिकित्सा शिक्षा, डिजिटल हेल्थ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उपचार पद्धतियों में शोध आदि विषयों पर पैनल चर्चाएं, कार्यशालाएं और केस स्टडीज आयोजित की जाएंगी।

मनोज जरांगे को धमकी देने...

गिरफ्तार किया जाए।

इस संबंध में सकल मराठा समाज, आष्टी तालुका के समन्वयक सुनील लक्ष्मण रेडेकर ने आष्टी के पुलिस निरीक्षक को दिए गए निवेदन में चेतावनी दी है कि यदि उचित कार्रवाई नहीं की गई, तो तीव्र आंदोलन छेड़ा जाएगा।

स्व. अजित दादा के निधन के ...

रखते हुए समिति ने इस वर्ष बिना किसी उत्सव के शिवजयंती को सादगी से मनाने का निर्णय लिया है।

परंपरा के अनुसार मान्यवरों के हस्ते होगी शासकीय महापूजा

परंपरा के अनुसार सुबह ७.०० बजे जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सार्वजनिक शिवजयंती उत्सव समिति बीड शहर के अध्यक्ष, सचिव, पदाधिकारी तथा अन्य मान्यवरों के हस्ते शासकीय महापूजा और अभिवादन किया जाएगा।

शासकीय महापूजा एवं अभिवादन कार्यक्रम के लिए १९ फरवरी २०२६ को सुबह ७.०० बजे नागरिकों से बड़ी संख्या में उपस्थित रहने की अपील विधायक संदीप क्षीरसागर और सार्वजनिक शिवजयंती उत्सव समिति, बीड शहर की ओर से की गई है।

दैनिक भारत की तामीर अखबार के मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक काजी मखदूम शफीउद्दीन ने आरएम प्रिंटरर्स, बार्शी रोड, बीड 431122 महाराष्ट्र में मुद्रित कर के दैनिक तामीर, नगर परिषद परिसर, बशीर गंज, बीड, महाराष्ट्र कार्यालय से प्रकाशित किया है। मोबाइल : 9270574444 ईमेल : hinditameer@gmail.com वेबसाइट : www.dailytameer.com

daily Bharat ki tameer newspaper owner printer publisher editor Quazi makhdoom shafiuddin has printed at RM printers barshi road beed 431122 Maharashtra at published at office daily tameer nagar parishad complex Bashir gunj beed Maharashtra. Mobile : 9270574444 Email : hinditameer@gmail.com Website : www.dailytameer.com